आपदा राहत के मानक, दरें तथा राहत वितरण प्रक्रिया

दिनांक: 21.12.2021

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 में आपदा की परिभाषा

- ''**आपदा**'' से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेरित है, जिसका परिणाम जीवन की सारवान हानि या मानवीय पीड़ाएं या सम्पत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय के सामना करने की क्षमता से परे है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाएं

1. बाढ़
2. सूखा
3. अग्निकाण्ड
4. ओलावृष्टि
5. कोहरा एवं शीतलहरी
6. बादल फटना
7. भूकम्प/सुनामी
8. चक्रवात
9. भू–स्खलन
10. कीट–आक्रमण
11. हिमस्खलन

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाएं

1. बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि
2. आकाशीय विद्युत
3. आंधी–तूफान
4. लू–प्रकोप
5. नाव दुर्घटना
6. सर्पदंश
7. सीवर सफाई / गैस रिसाव
8. बोरवेल में गिरना
9. मानव वन्य जीव द्वन्द (जंगली जानवरों का हमला)
10. डूब कर मृत्यु

राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता के मद

- मृतक के परिवार को अनुग्रह सहायता–
  - रु0 4.00 लाख प्रति मृतक
- शारीरिक विकलांगता–
  - 40 से 60 प्रतिशत विकलांगता पर रु0 59,100
  - 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर रु0 2.00 लाख
- आपदा के कारण अस्पताल में भर्ती–
  - एक सप्ताह से कम अवधि की भर्ती पर रु0 4,300
  - एक सप्ताह से अधिक अवधि की भर्ती पर रु0 12,700

राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता के मद

- बर्तन/घरेलू सामग्री हेतु–
  - कपड़ों के नुकसान पर रु0 1800
  - बर्तन व घरेलू सामग्री के नुकसान पर रु0 2000
- जिनकी आजीविका प्राकृतिक आपदा से गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है–
  - वयस्क के लिये अहैतुक सहायता रू0 100 प्रतिदिन
  - अवयस्क के लिये अहैतुक सहायता रू0 60 प्रतिदिन
  - सामान्य अवधि 30 दिवस, आवश्यकतानुसार राज्य कार्यकारिणी समिति 60 से 90 दिवस तक बढ़ा सकती है।
- खोज एवं बचाव कार्यों हेतु– वास्तविक व्यय के अनुसार
- किराये पर नाव हेतु– वास्तविक व्यय के अनुसार

राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता के मद

- राहत कैम्प–
    - अस्थाई आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा हेतु –वास्तविक व्यय की सीमा तक।
    - सामान्य अवधि 30 दिवस, आवश्यकतानुसार राज्य कार्यकारिणी समिति 60 से 90 दिवस तक बढ़ा सकती है।

- एयर ड्रापिंग –वास्तविक व्यय की सीमा तक
- पेयजल –वास्तविक व्यय की सीमा तक
- मलबे की सफाई –वास्तविक व्यय की सीमा तक

राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता के मद

- पानी की निकासी– वास्तविक व्यय की सीमा तक
- अन्तिम संस्कार एवं पशु शवों का निस्तारण– वास्तविक व्यय की सीमा तक
- अन्तिम संस्कार एवं पशु शवों का निस्तारण– वास्तविक व्यय की सीमा तक
- कृषि भूमि की **De-Silting** (12,200 प्रति हे0)
- मत्स्य फार्म की डिसिल्टिंग/पुर्नस्थापना/मरम्मत
- नदी के प्रवाह बदलने से भूमि के अधिकांश भू–भाग का नष्ट हो जाने पर 37,500 प्रति हे0

राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता के मद

- कृषि निवेश अनुदान–
  - असिंचित क्षेत्र हेतु रु0 6,800 प्रति हे0
  - सुनिश्चित क्षेत्र हेतु रु0 13,500 प्रति हे0
  - बहुवर्षीय फसलों हेतु रु0 18,000 प्रति हे0
- मृत पशुओं हेतु सहायता–
  - बड़े पशुओं हेतु रु0 30,000
  - छोटे दुधारू पशुओं हेतु रु0 3000
  - बड़े गैर दुधारू पशुओं हेतु रु0 25,000
  - 16000 Calf
  - रु0 50 प्रति कुक्कुट

राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता के मद

- पशु कैम्पों में चारा/पशु आहार के अतिरिक्त पानी और दवाओं हेतु सहायता
  - रु0 70 प्रति बड़े पशु प्रतिदिन
  - रु0 35 प्रति छोटे पशु प्रतिदिन
- मत्स्य पालन में मछुवारों को देय सहायता
  - आंशिक क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत हेतु रु0 4,100
  - पूर्णतया क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत हेतु रु0 9,600
  - आंशिक क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत हेतु रु0 2,100
  - पूर्णतया क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत हेतु रु0 2,600
  - मत्स्य बीज फार्म के लिए इनपुट सब्सिडी रु0 8,200 प्रति हे0
- हथकरघा/हस्तशिल्प हेतु दस्तकारों को संयंत्र हेतु देय सहायता रु0 4,100 प्रति दस्तकार

राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता के मद

- मकानों हेतु सहायता–
  - पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों हेतु रु0 95,100
  - आशिंक क्षतिग्रस्त पक्के मकानों हेतु रु0 5,200
  - आशिंक क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों हेतु रु0 3,200
  - रु0 4,100 प्रति झोपड़ी
- अधिसंरचना रेस्टोरेशन–
- उपकरण क्रय (एस0डी0आर0एफ0 का 10 प्रतिशत)
- क्षमता निर्माण (एस0डी0आर0एफ0 का 05 प्रतिशत)

राहत प्रदान करने में होने वाले विलम्ब/ कठिनाई दूर करने संबंधी विचारणीय बिन्दु

जनपद मुरादाबाद द्वारा प्रेषित

1–(क)सर्पदंश की घटना होने पर यदि पीड़ित के घर वाले पोस्ट मार्टम न करायें तो दैवीय आपदा में किस प्रकार आच्छादित किया जाए।

(ख)सांप द्वारा किसी जानवर को काटने पर मृत्यु हो जाये तो दैवीय आपदा में किस प्रकार आच्छांदित किया जाए।

2–अग्निकांड को किस प्रकार आपदा में आच्छादित किया जाए (जैसे–रात में सोते समय लालटेन से आग लग जाये, दीपक या दिये से आग लग जाए) अग्निकांड घटना के संबंध में अभी तक कोई भी स्पष्ट शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है।

3–नदी में नहाते समय डूबने पर सहायता दैवीय आपदा में किस प्रकार आच्छादित किया जाए।

जनपद मुरादाबाद द्वारा प्रेषित

4–नदी / तालाब में मूर्ति विसर्जन करते समय डूबने पर दैवीय आपदा में किस प्रकार आच्छादित किया जाए।

5–सड़क पर या रास्ते में दो जीव(सांड, बैल) के लड़ाई से अगर किसी व्यक्ति मृत्यु या घायल हो जाए तो दैवीय आपदा में किस प्रकार आच्छादित किया जाए।

6–ठण्ड के दिनों में बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर घर वाले यदि व्यक्ति का पोस्मार्टम न कराये तथा उसे दफना दिया जाए तो दैवीय आपदा में किस प्रकार आच्छादित किया जाए।

7– एक आवासीय इकाई के क्षतिग्रस्त होने पर उसमें रहने वाले दो भाइयों के परिवारों में क्या दोनों परिवार को सहायता दिया जायेगा या एक परिवार को। यह स्पष्ट न होने के कारण राजस्व परिषद द्वारा इसमें आडिट आपत्ति इंगित की गयी है, अतः इसे स्पष्ट करने का कष्ट करें।

बाढ़ के संबंध में विचारणीय बिन्दु

- क्या सिर्फ नदियों में आई बाढ़ से हुआ नुकसान आच्छादित है
- किस प्रकार की क्षति वाले घर पूर्ण क्षतिग्रस्त और कितनी क्षति वाले घर आंशिक क्षतिग्रस्त माने जायेंगें।
- पूर्ण क्षतिग्रस्त के लिये रू0 95100/— है, आंशिक के लिये रू0 5200/— है।
- अन्य बिन्दु

आग के संबंध में विचारणीय बिन्दु

- अधिकांश जनपद अज्ञात कारण की आग में एस0डी0आर0एफ0 से राहत देते हैं, जबकि ज्ञात कारणों जैसे चूल्हे से, बिजली से, शार्ट सर्किट, बीड़ी, अलाव, ढ़िबरी आदि से लगी आग की घटनाओं में प्रायः राहत नहीं दी जाती है।
- कई बार अधिकारी संशय में रहते हैं कि आग से पीड़ित व्यक्ति को यदि हास्पिटलाइजेशन हेतु रू0 12700/4300 की मदद की गई है, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या 4.00 लाख में यह राशि घटा दी जायेगी।
- फसलों की आग में प्रायः राहत धनराशि देने में बहुत विलम्ब होता है। कई बार पीड़ित को राहत नहीं मिल पाती या मण्डी परिषद आदि से राहत लेने हेतु कहा जाता है।
- अन्य बिन्दु

कोहरा एवं शीतलहरी के संबंध में विचारणीय बिन्दु

- शीतलहरी से मृत्यु की कई घटनायें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं, परन्तु जनपदों से अब तक 01 मृत्यु की घटना रिपोर्ट हुयी है।
- कोहरा के कारण हुयी दुर्घटनाओं में मृत्यु की स्थिति में राहत नहीं दी जा रही है।
- अन्य बिन्दु

बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि के संबंध में विचारणीय बिन्दु

- क्या सामान्य वर्षा की स्थिति में राहत नहीं दी जायेगी।
- अन्य बिन्दु

आकाशीय विद्युत के संबंध में विचारणीय बिन्दु

- आकाशीय विद्युत में मृत्यु हृदयाघात के कारण होती है। पोस्टमार्टम में प्रायः हृदयाघात लिखा होता है न कि आकाशीय विद्युत, जिससे राहत देने में कठिनाई होती है या कई बार पीड़ित के परिवार को राहत नहीं मिल पाती है।
- अन्य बिन्दु

आंधी–तूफान के संबंध में विचारणीय बिन्दु

- आंधी–तूफान के कारण गिरे बिजली के तार से आये करेंट से होने वाली मृत्यु में प्रायः राहत से धनराशि नही दी जाती है।
- आंधी–तूफान के कारण हुयी अन्य सेकेन्डरी आपदाओं की स्थिति में प्रायः राहत निधि से राहत देने में संशय रहता है। आंधी तूफान के कारण छत से गिरने पर राहत नही वितरित की जा रही है।
- अन्य बिन्दु

सीवर सफाई / गैस रिसाव के संबंध में विचारणीय बिन्दु

- कौन सी गैसें आच्छादित हैं, की स्पष्टता नहीं है।
- अन्य बिन्दु

मानव वन्य जीव द्वन्द (जंगली जानवरों का हमला)

- वन्य क्षेत्र के अन्दर की घटनाओं में राहत दी जानी है, अथवा नहीं
- पालतू जानवरों व सड़क पर घूमने वाले जानवरों से द्वन्द पर राहत राशि देय है अथवा नहीं
- अन्य बिन्दु

Thank You!